हरियाणा सरकार

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग

ग्रधिस्चना

दिनांक 24 ग्रप्रैंल, 1998

संख्या सा० का० नि०37/संवि०/अनु०/309/98.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत ग्रुप (ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्निलिखित नियम बनाते हैं, प्रथित:—

भाग 1 - सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (i) ये नियम हरियाणां गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत ग्रुप (ख) सेवा नियम, 1998, कहे जा सकते

(ii) ये राजपत्न में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषायें।

- 2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "ग्रायोग" से श्रभिप्राय है, हरियाणां लोक सेवा श्रयोग ;
 - (ख) 'सीधी भर्तीं' से ग्रिभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नित द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी ग्रिधिकारी के स्थानान्तरण से ग्रन्थथा की गई हो;
 - (ग) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक, हरियाणा गैर-पारम्परिक ऊर्जा विभाग ;
 - (घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;
 - (ङ) "संस्था" से ग्रभिप्राय है,---
 - (i) हरियाणा राज्य में विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या
 - (ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;
 - (च) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है, --
 - (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्विद्यालय ; या

- (ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि पत (डिपलोमा) या प्रमाण पत्न की दशा में पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय ; या
- (iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता । प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;
- (छ) "सेंबा" से अभिप्राय है, हरियाणा, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत (ग्रुप ख) सेवा;
- (ज) "सचिव" से अभिप्राय है, सचिव, हरियाणा सरकार, गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग।

भाग II-सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क के बताये गर्भे पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कभी करने या विभिन्त पदनामों ग्रौर वेतनमानों वाले नये पद स्थायी ग्रथवा ग्रस्थायी रूप से बनाने के सरकार के ग्रन्त-निहित ग्रिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

शैवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता ग्रधिवास तथा चरित्र 1

- 4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि यह कि निम्नलिखित नहों :---
 - (क) भारत का नागरिक; या
 - (ख) नेपाल की प्रजा ; या
 - (ग) मूटान की प्रजा; या
 - (घ) तिब्बत का शरणार्थी , जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या
 - (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, या कीनिया, यूगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका ग्रीर जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे ग्रीर ईथोपिया के किसी पूर्वी श्रकीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के ग्रायय से श्राया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ब) (ग) (घ) या (ङ) से संबंधित किसी प्रवर्ग का कोई ब्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पावता का प्रमाण शव जारी किया गया हो।

(2) कोई भी ब्यक्ति जिसकी दशा में पावता का प्रमाण पत्न आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पावता प्रमाण पत्न जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

HARYANA GOVT GAZ., APRIL 13, 1999 (CHTR 23, 1921 SAKA)

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अथवा ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बधी नहों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भनी भांति परिचित हों, और जो उसके विश्विद्यालय महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हो, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करे।

आयु ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो ग्रायोग को ग्रावेदन प्रस्तुत करने की ग्रन्तिम तिथि के ठीक ग्रागामी मास के प्रथम दिन को या उससे पहले बीस वर्ष से कम ग्रथवा पैतीस वर्ष से ग्रधिक का हो।

- i is to (friend in) thereby in

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेंगी।

योग्यताएं ।

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिणिष्ट खं के खाना 3 में सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वों क्त परिणिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित योग्यतायें तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीघी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, अनुभव संबंधी योग्यताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में उनके आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हों। ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे।

ग्रयोग्यतायें ।

- 8. कोई भी व्यक्ति :
 - (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या
- (ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये, किसी यन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पाल नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसे करने के अन्य आधार भी है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग :

- 9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी।
 - (क) परियोजना अधिकारी की दशा में,-
 - (i) 30 प्रतिशत सहायक परियोजना अधिकारियों में से पदोन्नित द्वारा ; श्रीर
 - (ii) 70 प्रतिशत सीघी भर्ती द्वारा ; या
 - (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
 - (ख) परियोजना अर्थशास्त्री (गैर तकनीकी) की दशा में,--
 - (i) सीघी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण द्वारा या प्रति नियुक्ति द्वारा;
 - (ग) लेखा अधिकारी की दशा में,— वित्त विभाग से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
 - (घ) अधीक्षक की दशा में,---
 - (i) उप श्रघीक्षक या सहायक में से पदोन्नित द्वारा ; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (2) सभी पदोन्नितयां, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नित के लिये कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

परिवीका :

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीका पर रहेगा :

परन्त्-

(क) ऐसी नियुक्ति को बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि से गिनी जायेगी ;

HARYANA GOVT. GAZ., APRIL 13, 1999 (CHTR 23, 1921 SAKA)

- (ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अयवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अविधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इसे नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अविधि की ओर गिनने दी जा सकती है;
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेंगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति की जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त किया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की ग्रवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या भाचरण संतोषजनक न रहा हो तो, वह
 - (क) यदि ऐसा व्यक्ति, सीघी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और
 - (स) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से ग्रन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,--
 - (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
 - (ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शतें अनुज्ञात करें।
 - (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा-अविध पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,-
 - (क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,-
 - (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
 - (ii) ऐसे व्यक्ति को यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
 - (iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति नहो तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अविध संतोषजनक ढंग सेपूरी कर ली है; या
 - (ख) यदि उसका कार्य आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,--
 - (i) यदि वह सीघी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाधों से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रति— वर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा धर्ते धनुजात करें; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है, जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अविध, जिसमें बढ़ाई गई अविध भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता :

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद, पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये ग्रलग-ग्रलग निश्चित की जायेगी:

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यता कम को भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित -रूप से निश्चित की जायेगी :---

- (क) सीघी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नित या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा; या
- (ख) पदोन्नित द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा; या
- (ग) पदोन्नित द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे पदोन्नित या स्थानान्तरित किये गये थे; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अप्रमुसार निश्चित की जायेगी, प्रधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ल रहा था, और यदि मिलन वाल वेतन की दर भी समान हो तो, उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का दायित्व :

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में ग्रथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये, आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिये दायी होगा।

- (2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिये नीचे लिखे अनुसार भी प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है :--
 - (i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय व चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधि-कांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण विश्वविद्यालय ;
 - (ii) कोन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निः मित हो या न हो, जिस का पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा
 - (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या स्वायत निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास नहो, अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमित के विना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार अथवा किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्ति नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी, पैंशन और अन्य मामले :

13. वेतन, छुट्टी, पैंशन और अन्य सभी मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पन्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंतित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों या इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

अनुशासन, शास्तियां और अपीलें :

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा वे सदस्य समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन रहते हुये, वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट गर्में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील), नियम, 1987, के नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट व में विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवाना :

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निदेश करे; टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा।

राजनिष्ठा की शपथ :

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक कि उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी। ढील देने की शक्ति:

17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना श्रावश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, श्रादेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में एसा कर सकती है। विशेष उपबन्ध :

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि नियुक्ति ग्रादेश में विशेष शतें तथा निबन्धन लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण:

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वगों, अन्य पिछड़े वगों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वग अथवा प्रवग को दिये जाने के लिये अपक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करगी :

परन्तु इस प्रकार से किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

निरसन तथा व्यावृत्ति :

20. सेवा में लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हों, इसक द्वारा निरसित किय जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरिसत नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

HARYANA GOVT GAZ., APRIL 13, 1999 (CHTR 23, 1921 SAKA)

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

कम संख्या	पदनाम	पदं स्थाई	ों की सं श्रस्थाई		वेतनमान
1	2	3	4	5	6
				1 75 ENG	रुपये
1	परियोजना ग्रधिकारी	_	16		00-60-2300-75-2900-द० रो०- 0-3500
2	परियोजना ग्रथंशास्त्री		1		0-60-2300-75-2900-द० रो०- 0-3500
3	लेखा श्रधिकारी	-	1		0-60-2300-75-2900-द॰ रो॰- 0-3500
4	ग्रधीक्षक		1		0-60-2300-75-2900-द॰ रो॰- 0-3500

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम | पदनाम संख्या सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो

सीधी भर्ती से ग्रन्यथा, द्वारा नियुक्ति के लिये गैक्षणिक योग्यताएं तथा ग्रनुभव, यदि कोई हो

1

3

4

 परियोजना अधिकारी (i) भौतिक/रसायन/गणित/संक्रियात्मक अनुसंधान में कम से कम 60 प्रतिशत ग्रंहों के साथ स्नत होत्तर डिग्री या इसके समकक्ष कोई डिग्री;

ग्रथवा

कम से कम 60 प्रतिशत ग्रंकों सहित इलैक्ट्रिकल/मकैनिकल/रसायन/ कम्पयूटर/कृषि इजीनियरी में स्नातक डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री;

- (ii) मैद्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;
- (iii) ग्रामीण विकास से संबंधित नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में परि-योजनाम्रों के ग्रायोजना, विकास तथा लागू करने में दो वर्ष का ग्रनुभव;

पदोन्नति द्वारा ;

सहायक परियोजना अधिकारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;

स्थानान्तरण द्वारा :

 भौतिक/रसायन/गणित/संक्रियात्मक अनुसंधान में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोन्त्तर डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री;

ग्रथवा

कम से कम 60 प्रतिशत ग्रंकों सहित इलैक्ट्रिकल/मैके निकल/रसायन/कम्पयूटर/ कृषि इंजीनियरी में स्नातक डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री;

- (ii) ग्रामीण विकास से संबंधित नवी— करणीय ऊर्जा के क्षेत्र में परियोजनाम्रों के ग्रायोजना विकास तथा लागू करने में दो वर्ष का ग्रनुभव।
- (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।

HARYANA GOVT GAZ., APRIL 13, 1999 (CHTR 23, 1921 SAKA)

1	2	3	4
2	परियोजना श्रथंशास्त्री	(i) ग्रथंशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान	; (i) अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर विग्री; ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;
	मित्र विशेष	विस्तान न ना नार्याजवाला क	(iii) ग्राधिक योजना मातिक, विश्लेषण या परियोजनाश्रों के बनाने का पांच वर्ष का ग्रमुभन ;
3	लेखाधिकारी	distiliz -	वित्त विभाग, हरियाणा से एस० ए० एस० संवर्ग का श्रिष्ठकारी ।
4	ग्रघीक्षक	e section consists of	पदोन्नित द्वारा : उप ग्रधीक्षक के रूप में दो वर्ष का ग्रनुभव, या सहायक, के रूप में सात वर्ष का ग्रनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियक्ति द्वारा :
			Division .
		; items	(ii) मैद्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

ऋम संख्या	पद नाम	नियुन्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त] प्राधिकारी	ग्रपील ग्रधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी
1	2	3	. 4	5	6	7
1	परियोजना ग्रधिकारी	सरकार	1. छोटी शास्तियां :	निदेशक	सरकार	
3	-0.		(i) वैयक्तिक फाईल			
2	परियोजना	STREET, PE	(म्राचरण पंजी) पर			
	अर्थं शास्त्री		प्रति रखते हुए			
			चेतावनी ;			
3	लेखा		(ii) परिनिन्दा ;			
	ग्रधिकारी		/!!!\ ->-0 >			
			(iii) पदोन्ति रोकना;			
4	प्रधीक्षक		(iv) ग्रादेशों की ग्रपेक्षा या			
			उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय			
			सरकार या राज्य सरकार			
			को या ऐसी कम्पनी			
			संगम तथा व्यव्टि			
			निकाय चाहे वह			
			निगमित हो या नहीं,			
			जिसका पूर्ण या ग्रधि-			
			कांश स्वामित्व या			
			नियंत्रण सरकार के पास		*	
			है या संसद या राज्य			
			विधान मंडल के ग्रुधि-			
			नियम द्वारा स्थापित			1

1 2 3 4 5 6 7

किसी स्थानीय प्राधि— करण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली;

- (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियों को रोकना ;
- 2. बड़ी शास्तियां :

सरकार

- (vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना;
- (Vii) किसी विनिद्दिष्ट

 प्रविध के लिये समयमान

 में निम्नतर प्रक्रम पर

 श्रवनित, ऐसे

 श्रतिरिक्त निदेशों

 सहित कि सरकारी कर्मचारी ऐसी ग्रवनित की

 श्रविध के दौरान वेतन
 वृद्धियां श्रींजत करेगा
 या नहीं, ग्रौर क्या ऐसी

 श्रवनित उसकी भावी
 वेतन वृद्धियां स्थगित
 करने का प्रभाव रखेगी

 श्रयवा नहीं;
- (viii) निम्नतर वैतनमान, ग्रेड ग्रयना पद या सेना पर ऐसी भवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेना पर,

1 2 3 4 5 6 7

जिससे वह अवनत किया
गया था, पदोन्नति के
लिये सामान्यतः रोक
होगी, ऐसा जिस ग्रेड,
पद, अथवा सेवा से सर—कारी कर्मचारी अवनत
किया गया था उस पर
बहाली सम्बन्धी और
उसकी ज्येष्ठता
तथा उस ग्रेड, पद या
सेवा पर वेतन के बारे
में शतौं सम्बन्धी अतिरिक्त
निर्देशों के साथ या उसके
बिना होगा ;

- (ix) ग्रनिवार्य सेवा निवृति ;
- (x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये निरहेंता नहीं होगी;
- (Xi) सेवा से पवच्युति, जो सरकार के प्रधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यतः निरह्ता होगी।

HARYANA GOVI GAZ., APRIL 13, 1999 (CHTR 23, 1921 SAKA)

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पद नाम	भ्रादेश का स्वरूप	मादेश लेने के लिये सशक्त प्राधिकारी	ग्रपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा ग्रंतिम ग्रंपील प्राधिकारी
1	2		4	5	6
1	परियोजना (i) अधिकारी	पेंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अवशेष सामान्य/ अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना ;	सरकार	ey stell som	Organicam:
3	परियोजना (ii) भ्रथं शास्त्री लेखा ग्रधिकारी	सेवा के किसी सदस्य उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत श्रायु होने से पूर्व श्रन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।			(0)
4	ग्रधीक्षक	malf with south were party with mark and another party weal party and work and work and south party and work and south and		notestative to	(3)

एस० वाई० कुरैशी,

ग्रायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग।

(Authorised English Translation)

HARYAYA GOVERNMENT

DEPARTMENT OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES HARYANA

Notification

The 24th April, 1998

No. GSR 37/Const/Art/309/98.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby persons appointed to the Haryana Non-conventional Energy Sources (Group-B) Service, namely:—

PART 1-GENERAL

Short title

- 1. (i) These rules may be called the Haryana Non-conventional Energy Sources (Group-B) Service Rules, 1998.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the efficial

Definitions:

- 2. In these rules, unless the context otherwise requires,-
- (a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;
- (b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government;
- (c) "Director" means the Director, Non-conventional Energy Sources Department, Haryana;
- (d) "Government" means of the Haryana Government in the Administrative Department;
- (e) "Institution" means,
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
 - (ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;
- (f) "Recognised University" means,-
 - (i) any university incorporated by law in India; or
 - (ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination field before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or
 - (iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules;

HARYANA GO VT GAZ., APRIL 13, 1999 (CHTR 23, 1921 SAKA)

- (g) "Service" means the Haryana Non-conventional Energy Sources (Group-B)
 Service;
- (h) "Secretary" means Secretary to Government Haryana, Non-Conventional Energy Sources Department.

PART !!- RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts:

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service:

- 4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless to is,-
 - (a) a citizen of India; or
 - (b) a subject of Nepal; or
 - (c) a subject of Bhutan; or
 - (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
 - (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Ziare and Ethiopia with the intention of permanently settling in India;
 - Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.
- (2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.
- (3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of chafracter from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age:

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than 20 years or more than 35 years of age, on or before the first day of the month next preceding the last date of submission of application to the Commission.

Appointing Authority.

6. Appointment to the post in the Service shall be made by the Government.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in Column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in Column 4 of the aforesaid Appendix in case of persons appointed otherwise than by direct recruitment:

Provided that in the case of appointment by direct recruitment, the qualification regarding experience shall be relaxable to the extent of 50 per cent at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically handicapped candidates, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing

Disqualifications.

- 8. No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person faving a spouse living; or
 - (b) who having a spouse living has entered or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in Service:
 - Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

- 9. (1) Recruitment to the Service shall be made,-
 - (a) in case of Project Officer,-
 - (i) 30% by promotion from Assistant Project Officers; and
 - (ii) 70% by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of any officer/official already in the service of any State Government or the Government of India;
 - (b) in case of Project-Economist (Non-Technical),-
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of any officer/official already in the service of any State Government or Government of India;
- (c) in case of Accounts Officer,-
 - (i) by transfer or deputation from Finance Department, Haryana;

HARYANA GOVT GAZ., APRIL 13, 1999 (CHTR. 23, 1921 SAKA)

- (d) in case of Superintendent,-
 - (i) by promotion from Deputy Superintendent or Assistant; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India.
- 2. All promotions, unless otherwise provided, shall be made on seniority-cummerit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation.

10. (1) Persons appointment to any post in the Service shall remain on probation, for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise:

Provided that -

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.
- (2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—
 - (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his Services; and
 - (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,-
 - (i) revert him to his former post; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.
- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—
 - (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,-
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

- (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
- (b) if his work or conduct has, in its opinion, Leen not satisfactory,-
 - (i) dispense with his Services if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or
- (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority :

of continuous Service on any post in the Service; thall be determined by the length

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Povided further that in the case of members appointed by direct recruitment the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in finding the seniority;

Provided further that in case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows;—

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their Service in the appointments and if the length of such Service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve:

12 (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

- (2) A member of Service may also be deputed to serve under-
- (i) a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana;
- (ii) The Central Government of a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
- (iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government of any organisation or body referred to in clauses (ii) or (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters;

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be govered by such rules and regulations as may have been, or may hereafter adopted or made by the competent authority under the constitution of India or under any law for the time being in force made by State Legislature.

Discipline, penalties and appeals;

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by Haryana Civil Services (Punishment and Appeal), Rules, 1987, as amended from time to time;

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or (d) of subrule (i) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules,

Vaccination:

15. Every member of the service, shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance:

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation:

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class o category of persons.

Special provisions:

18. Notwithsatnding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservation:

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Caste, Backward Classes, other Backward Classes, Ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time;

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

Repeal and savings:

20. Any rule applicable to the service and corresponding to any of these rules, which is inforce immediately before the commencement of these rules is hereby repealed;

Provided that any order made or action taken under the rule so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

HARYANA GOVT GAZ. APRIL 13, 1999 (CHTR 23, 1921 SAKA)

APPENDIX A

(See Rule 3)

Sr. No.	Designation of	Number of posts			Scale of Pay
	post	Perma- nent	Tempo- rary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Project Officer	_	16	16	Rs. 2,000—60—2,300—75— 2,900—EB—100—3,500
2	Project Economist	-	1	1	Rs. 2,000—60—2,300—75- 2,900—EB—100—3,500
3	Superintendent	E 10 4 d	1	1	Rs. 2,000—60—2,300—75— 2,900—EB—100—3,500
4	Accounts Officer	-	1	1	Rs. 2,000—60—2,300—75— 2900—EB—100—3,500

2 Project Economist

APPENDIX B

(See rule 7)

Sr. Designation No.	of posts Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualification and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1 . 2	3	4
1 Project Officer	er (i) Masters Degree in Physics/Chemistry/Mathematics Operational Research with a least 60% marks or equivalen degree; Or Bachelor Degree in Electrical/ Mechanical/Chemical/ Computer/Agricultural Engineering or equivalent degree with at last 60% marks.	Five years experience as Assistant Project Officer. By transfer:
	 (ii) Knowledge of Hindi up to Matric (iii) Two years experience in Planning, Development and implementation of renewable energy programmes related to Rural Sector Development 	Bachelor Degree in Electrical/Mechanical/Computer Chemical/Agricultural Engineering or equivalent degree with atleast 60% marks; (ii) Two years experience in Planning, Development and implementation of renewable energy programmes related to Rural Sector Development;
		iii) Knowledge of Hindi up to Matric.

(i) Masters degree in Economics;

(ii) Knowledge of Hindi up to Matric;

(i) Masters degree nomics;

(ii) Knowledge of Hindi up

in Eco-

(iii) Five years experience in Planning Economtries quantative Analysis or Project Formulation.

3 Accounts Officer

- Officer of SAS cadre from Pinance Department Haryana.

4 Superintendent

- By promotion:

Two years experience as Deputy Superintendent or seven years experience as Assistant.

By transfer:

(i) two years experience as Deputy Superintendent or seven years experience as Assistant;

(ii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard.

APPENDIX C

[See rule 14 (1)]

Sr. No.	posts	Appointing anthority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate	
1	2	3	4	5	6	7
			Minor Penalties		Visit of the	
1	Project Officer	Govern- ment	(i) warning with a copy in the peronal file (Character roll):	Director	Governmen	nt —
2	Project	(i	i) Censure;			
	Economist	(ii	ii) Withholding of promotion;			
3	Accounts Officer	(i	v) recovery from			
4	Superintendent		pay of the whole or part of any pecuniar loss caused by	у		
			negligence or a breach or orders, to the Central Government or a State Government or to a company ar association or a bod of individuals wheth	lv		
			incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; and	ei		
		(v)	Withholding of increments of pay without cumulative effect.			
			Aajor Penalties—			
		(va)	withholding of increments of pay with cumulative effect;	Governmen	t –	-

2 3 6 9

(vi) reduction to a
lower stage in the
time scale of pay for
a specified period,
with further directions
as to whather or not
the Government
employee will earn
increments of pay increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;

(vii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government and the control of the covernment and the covernment of the cove ment employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;

(viii) compulsory

retirement;
(ix) removal from service which shall not be a disqualification for furture employ-ment under the Government;

(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

APPENDIX D

[See Rule 14(2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order		Second & final Appellate authority if any
1	2	3	4	5	6
1	Project Officer	(i) reducing or withholding the	Govern-	=	_
2	Project Economist	amount of ordinary or additional pension admissib under the rules governing pension:	ment		
3	Accounts Officer	(ii) terminating the appointmen of member of the service	t		
4	Superintendent	otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.			

S. Y. QURAISHI,

Commissioner & Secretary to Government, Haryana Non-conventional Energy Sources Department.

HARYANA GOVT. GAZ., SEPT. 12, 2006 (BHDR. 21, 1928 SAKA)

591

हरियाणा सरकार

अक्षय ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 सितम्बर, 2006

संख्या साठ काठ निठ 24/संविठ/ अनुठ 309/2006.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. (1) ये नियम हरियाणा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत (ग्रुप ख) सेवा संशोधन नियम, 2006 कहे जा सकते हैं।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. हरियाणा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत (ग्रुप के) सेवा नियम, 1998 तथा प्रस्तावना में, ''हरियाणा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत'' शब्द जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर, ''हरियाणा अक्षय ऊर्जा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

एस० सी० योधरी, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, अक्षय ऊर्जा विभाग।

HARYANA GOVT. GAZ., SEPT. 12, 2006 (BHDR. 21, 1928 SAKA)

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Notification

The 8th September, 2006

- No. G. S. R. 24/Const./Art. 309/206.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules firther to amend the Haryana Nonconventional Energy Sources (Group B) Serice Rules, 1998, namely:—
- (1) These rules may be called the Taryana Non-conventional Energy Sources (Group B) Service Amendment Ries, 2006.
- (2) They shall come into fee on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Haryana Non-conventinal Energy Sources (Group B) Service Rules, 1998 and preamble, for the works "Haryana Non-conventional Energy Sources" wherever occurring, the works "Haryana Renewable Energy" shall be substituted.

S. C. CHAUDHARY,

Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Renewable Energy Department.

HARYANA GOVERNMENT

NEW AND RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Notification

The 4th September, 2018

No. 1382-A/Const./Art.309/2018.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Renewable Energy (Group B) Service Rules, 1998, namely:-

- These rules may be called the Haryana Renewable Energy, (Group B) Service (Amendment) Rules, 2018.
- 2. In the Haryana Renewable Energy (Group B) Service Rules, 1998, in rule 5, for the figure "35", the words and sign "forty-two" shall be substituted.

ANKUR GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
New and Renewable Energy Department.

57046-C.S.-H.G.P., Chd.



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 19-2019] CHA

CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 7, 2019 (VAISAKHA 17, 1941 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 सितम्बर, 2018

संख्या 1382—ए/संवि/अनुo/309/2018.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा अक्षय ऊर्चा (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1998 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- 1. ये नियम हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2018 कहे जा सकते हैं।
- 2. हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1998 में, नियम 5, में, ''पैंतीस वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''बयालीस वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

अंकुर गुप्ता, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग।



Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 70-2019/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, APRIL 24, 2019 (VAISAKHA 4, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अप्रैल, 2019

संख्या 1492/संवि0/अनु0 309/2019.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1998 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2019 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1998 में, परिशिष्ट ख के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

परिशिष्ट ख (देखिए नियम ७)

		(दाखए ।नयम ।	1)			
क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा, द्वारा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो			
1	2	3	4			
1	परियोजना अधिकारी	(i) भौतिक/रसायन /गणित / संकियात्मक अनुसंधान में कम से कम साठ प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर डिग्री या इसके समकक्ष कोई डिग्री; अथवा कम से कम साठ प्रतिशत अंको सहित इलैक्ट्रिकल/मकैनिकल / रसायन / कम्प्यूटर / कृषि इंजीनियरींग में स्नातक डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री; (ii) ग्रामीण क्षेत्र विकास से संबंधित नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रमों की आयोजना, विकास तथा कार्यान्वयन में दो वर्ष का अनुभव; तथा	डिग्री; अथवा			

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा, द्वारा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
		(iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत। टिप्पणी:— पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा	(ii) ग्रामीण क्षेत्र विकास से संबंधित नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रमों की आयोजना, विकास तथा कार्यान्वयन में दो वर्ष का अनुभव ; तथा (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत। टिप्पणी :— पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा
	0)		
2	परियोजना अर्थशास्त्री	(i) अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री; (ii) अर्थमिति योजना, मात्रिक विश्लेषण या परियोजनाओं को बनाने का पाँच वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत । टिप्पणी :- पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) अर्थ शास्त्र में रनातकोत्तर डिग्री; (ii) आर्थिक योजना, मात्रिक विश्लेषण या परियोजनाओं को बनाने का पाँच वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत । टिप्पणी:— पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा
3.	लेखा अधिकारी	_	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— वित्त विभाग, हरियाणा से राज्य लेखा अधीनस्थ (एस०ए०एस०) संवर्ग का अधिकारी।
4.	अधीक्षक		पदोन्नित द्वारा— उप अधीक्षक के रूप में दो वर्ष का या सहायक के रूप में सात वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) उप अधीक्षक के रूप में दो वर्ष का या सहायक के रूप में सात वर्ष का अनुभव; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत । टिप्पणी :— पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा

टी० सी० गुप्ता, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग।

_79-

HARYANA GOVERNMENT

NEW AND RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Notification

The 24th April, 2019

No. 1492/Const./Art.309/2019.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Renewable Energy (Group B) Service Rules, 1998, namely:-

- 1. These rules may be called the Haryana Renewable Energy (Group B) Service (Amendment) Rules, 2019.
- 2. In the Haryana Renewable Energy (Group B) Service Rules, 1998, for Appendix B the following Appendix shall be substituted, namely:-

"APPENDIX B"

(see rule 7)

Serial Number	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualification and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment		
1	2	3	4		
1.	Project Officer	(i) Masters / Degree in Physics/ Chemistry/ Mathematics /Operational Research with at least 60% marks or equivalent degree; Or Bachelor Degree in Electrical / Mechanical / Chemical / Computer / Agricultural Engineering or equivalent degree with at least 60% marks; (ii) Two years experience in Planning, Development and implementation of renewable energy programmes related to Rural Sector Development; and (iii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education. Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible.	By promotion- Five years experience as Assistant Project Officer. By transfer or deputation- (i) Masters/Degree in Physics Chemistry/Mathematics/ Operational Research with a least 60% marks or equivalent degree; Or Bachelor Degree in Electrical/ Mechanical Computer/ Chemical Agricultural Engineering of equivalent degree with a least 60% marks; (ii) Two years experience in Planning, Development and implementation of renewable energy programmes related to Rural Sector Development and (iii) Hindi or Sanskrit up to Matrix Standard or Higher Education. Note- Candidate possessinhigher qualifications that minimum qualifications prescribed for the post, shall be		

	*	- 4		-
н	•	6	н	6

Serial Number	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualification and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
2.	Project Economist	 (i) Masters degree in Economics; (ii) Five years experience in Planning Economtries quantative Analysis or Project Formulation; and (iii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education. Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible. 	(i) Masters degree in Economics; (ii) Five years experience in Planning Economtries quantative Analysis or Project Formulation; and (iii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education. Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications
3.	Accounts Officer		prescribed for the post, shall be considered eligible. Officer of State Accounts Subordinates cadre from Finance
4.	Superintendent		Department; By promotion-
			Two years experience as Deputy Superintendent or Seven years experience as Assistant. By transfer or deputation- (i) Two years experience as Deputy Superintendent or Seven years experience as Assistant; and (ii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education.
			Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible."

T. C. GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
New and Renewable Energy Department.